



**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



प्रेषक,

पत्रांक :- 01 / यो0ब0 - 59 / 2015- 675

दिनांक :- 17/7/19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमंडल, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04 / यो0बजट-65 / 2015-06 / स्वी0 व0प0 दिनांक 12.06.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / यो0 बजट-65 / 2015-58 / आ0 व0प0 दिनांक 26.06.2019।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत कुल रु0 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश के आलोक में लघुशीर्ष/इकाईवार राशि निम्नवत उप-आवंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
				आवंटित राशि
1	“2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01—वानिकी, लघु शीर्ष 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 54—झारपार्कस को अनुदान योजना”	79—सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19S240601796540679	300.000
कुल आवंटित राशि				300.000

ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

2. वर्तमान आवंटित राशि 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) का बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 54 "झारपार्क्स को अनुदान योजना" विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के अन्तर्गत 79-सहायता अनुदान सामान्य इकाई में विकलनीय होगा।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का होगा।

4. इस राशि का व्यय झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा अभिलेख हेतु एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

5. योजनाओं में सामग्री का क्रय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की एक मुस्त निकासी कर झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव को उपलब्ध करायेंगे, जो पूर्व धारित पी0एल0खाता में राशि रखी जाएगी।

7. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।



8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हों।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

13. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) को समर्पित की जायेगी।

14. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।



15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 —59 / 2015- 675 दिनांक :— 17/7/19

प्रतिलिपि—अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स), झारखण्ड, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।


अनुलग्नक :— यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0 —59 / 2015- 675 दिनांक :— 17/7/19

प्रतिलिपि— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची ।



झारखण्ड सरकार

## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

पत्र संख्या - 01/YB-59/2015/675

दिनांक -

17-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796540679 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54 - झारपार्क्स को अनुदान योजना 06 - अनुदान 79 - महायता अनुदान सामान्य (मैर-वेतन) <b>State Scheme</b>  State Scheme : GRANTS-IN-AID TO JHARPARKS(0982) Central Scheme : NA	42523	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	30,000,000.00 रुपये तीन करोड़




योगः

30,000,000.00

क्रमिक योगः

रुपये तीन करोड़



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI